POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.09.2025

1.थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी/ स्वाट-2 टीम द्वारा प्रतिबंधित खैर लकड़ी की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ट्रक जिसमें करीब 50 लाख कीमत की 55 क्विंटल लकड़ी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11.09.2025 को थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी/ स्वाट-2 टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित खैर लकड़ी की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1. रविन्द्र पुत्र प्रभुदयाल 2. ताज खान पुत्र रहमत अली खान को ककराला टी प्वाइंट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 ट्रक रजि0नं0- UP81GT1319, जिसमें करीब 50 लाख कीमत की 55 क्विंटल लकड़ी बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा स्वयं ही केलों की फर्जी रसीद तैयार की जाती थी और बिहार राज्य के मधुबनी से एक ट्रक में केले व केलों के पत्तों में प्रतिबंधित खैर लकड़ी को छिपाकर दिल्ली व हरियाणा राज्य में बेचने के लिए ले जाते थे। अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से खैर की लकड़ी अभिवहन किया जाता था जबकि खैर का पेड़ काटने, अभिवहन के लिए पास वन-विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रविन्द्र पुत्र प्रभुदयाल निवासी नगरिया जाहर, थाना दादौ, अलीगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।
2. ताज खान पुत्र रहमत अली खान निवासी ग्राम कांड, थाना पिपरा, मोतिहारी (बिहार) उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 452/2025 धारा 318(4)/317(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/28 भारतीय वन अधिनियम, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 ट्रक रजि0नं0- UP81GT1319, जिसमें करीब 50 लाख कीमत की 55 क्विंटल लकड़ी।